From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सुनीता बनाम जयदेव वगै0

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र –212 संख्या 38 वर्ष 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना [illegible] दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं [illegible] संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 02.03.2021 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा [illegible]द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1909 / 2.60है0 वाके ग्राम तिजारा [illegible] तिजारा पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं निर्माण कार्य न करें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें ? कोई [illegible]ज हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील [illegible]र्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो0 रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। 01/02/2021 उपखण्ड अधिकारी तिजारा(अलवर)	

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरफ से श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने जबाव पेश किया। उभय पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र पर बहस करने की इच्छा जाहिर की। उभयपक्षकारान बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। वाद के तथ्यों पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील संलग्न मूल वाद हो।

... व अप्रार्थी सं. 2

संयुक्त खाता... व अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 भाग